

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application
No.465/2025

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 1854/2025

Rajesh Mathur S/o Shree Manmohan Mathur, R/o House No.
42/70/ 4 Varun Path, Police Station Mansarover, Jaipur,
Rajasthan Accused In Judicial Custody In Central Jail Jaipur

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor, Rajasthan High
Court, Jaipur.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री अनिल खन्ना
For Respondent(s)	:	श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24-02-2026

याची/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17, जयपुर महानगर द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या-102/2005, राज्य बनाम राजेश माथुर में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 20.09.2018 व अपीलीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम ब्लास्ट केसेज, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा दण्डिक अपील संख्या- 105/2021, राजेश माथुर बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 06.08.2025 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दो वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र

विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किए गये हैं। वर्तमान में याची दिनांक 06.08.2025 से लगातार अभिरक्षा में है, उनके द्वारा रिवीजन याचिका में जो आधार लिए गए हैं उनके आधार पर याची दोषमुक्त होने योग्य है, याची वरिष्ठ नागरिक है, प्रस्तुत याचिका के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, याची की अभिरक्षा अवधि एवं याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याची-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **राजेश माथुर पुत्र मनमोहन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J